

**MAA OMWATI DEGREE COLLEGE
HASSANPUR**

NOTES

SUBJECT- INTERNATIONAL LAW

CLASS- M.A.4TH SEM

UNIT-1

“राज्यों की मान्यता” – अर्थ एवं परिभाषा (अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में)

1. अर्थ (Meaning)

राज्यों की मान्यता (Recognition of State) से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य को अन्य मौजूदा राज्य औपचारिक रूप से स्वीकार करते हैं।

जब कोई नया राज्य अस्तित्व में आता है, तो अन्य देश उसे एक वैध (Legal) और स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं—इसी को मान्यता कहते हैं।

सरल शब्दों में:

जब एक देश दूसरे नए बने देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता है, तो उसे राज्यों की मान्यता कहते हैं।

2. परिभाषा (Definition)

ओपेनहाइम (Oppenheim) के अनुसार:

“राज्य की मान्यता वह घोषणा है जिसके द्वारा एक राज्य यह स्वीकार करता है कि कोई नई राजनीतिक इकाई अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य है।”

फेनविक (Fenwick) के अनुसार: “राज्य की मान्यता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राज्य किसी अन्य राज्य के अस्तित्व और उसकी संप्रभुता को स्वीकार करता है।”

3. राज्य की मान्यता के आवश्यक तत्व

किसी राज्य को मान्यता मिलने के लिए सामान्यतः निम्न तत्व आवश्यक होते हैं:

1. निश्चित भू-भाग (Defined Territory)
2. स्थायी जनसंख्या (Permanent Population)
3. संगठित सरकार (Government)
4. अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता (Capacity to enter into relations with other states)

4. मान्यता के प्रकार

1. वास्तविक (De Facto) मान्यता – अस्थायी या सीमित स्वीकृति।
2. विधिक (De Jure) मान्यता – पूर्ण और स्थायी स्वीकृति।

राज्य उत्तराधिकार (State Succession) – अर्थ एवं परिभाषा

1. अर्थ (Meaning)

राज्य उत्तराधिकार से आशय उस स्थिति से है जब किसी राज्य के क्षेत्र पर अधिकार या संप्रभुता (Sovereignty) में परिवर्तन हो जाता है और उसकी जगह कोई नया राज्य या राज्य सत्ता स्थापित हो जाती है। अर्थात्, जब एक राज्य के अधिकारों और दायित्वों (Rights and Obligations) को दूसरा राज्य ग्रहण करता है, तो उसे राज्य उत्तराधिकार कहते हैं।

सरल शब्दों में:

जब एक राज्य की जगह दूसरा राज्य उसके अधिकार और कर्तव्यों को संभाल लेता है, तो उसे राज्य उत्तराधिकार कहा जाता है।

2. परिभाषा (Definition)

ओपेनहाइम (Oppenheim) के अनुसार:

“राज्य उत्तराधिकार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राज्य किसी क्षेत्र के संबंध में दूसरे राज्य के अधिकारों और दायित्वों का स्थान ग्रहण करता है।”

अंतरराष्ट्रीय कानून आयोग (International Law Commission) के अनुसार:

“राज्य उत्तराधिकार से तात्पर्य एक राज्य द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में दूसरे राज्य के अधिकारों और दायित्वों का प्रतिस्थापन है।”

3. राज्य उत्तराधिकार के कारण

राज्य उत्तराधिकार निम्न परिस्थितियों में हो सकता है:

1. राज्य का विभाजन (जैसे – भारत और पाकिस्तान, 1947)

2. राज्यों का विलय (जैसे – जर्मनी का एकीकरण, 1990)

3. राज्य का विघटन (जैसे – सोवियत संघ का टूटना)

4. उपनिवेशों की स्वतंत्रता

4. राज्य उत्तराधिकार के प्रभाव

1. संधियों (Treaties) पर प्रभाव

2. संपत्ति और ऋण (Property and Debts) का बंटवारा

3. नागरिकता (Citizenship) का निर्धारण

4. अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता

निष्कर्ष

राज्य उत्तराधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो यह निर्धारित करता है कि किसी राज्य के परिवर्तन या समाप्ति की स्थिति में उसके अधिकार, कर्तव्य और अंतरराष्ट्रीय संबंध किस प्रकार नए राज्य को हस्तांतरित होंगे।

1. राष्ट्रियता (Nationality) – अर्थ एवं परिभाषा

(क) अर्थ (Meaning)

राष्ट्रीयता से आशय उस कानूनी संबंध (Legal Relationship) से है जो किसी व्यक्ति और राज्य के बीच स्थापित होता है। यह संबंध व्यक्ति को उस राज्य का नागरिक होने का अधिकार देता है तथा राज्य उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है।

सरल शब्दों में:

किसी व्यक्ति और राज्य के बीच का वैधानिक संबंध राष्ट्रियता कहलाता है।

(ख) परिभाषा (Definition)

ओपेनहाइम (Oppenheim) के अनुसार:

“राष्ट्रीयता वह कानूनी बंधन है जो व्यक्ति को किसी राज्य से जोड़ता है।”

हैग कन्वेंशन (1930) के अनुसार:

“प्रत्येक राज्य अपने कानूनों के अनुसार यह निर्धारित करता है कि उसके नागरिक कौन होंगे।”

(ग) राष्ट्रियता प्राप्त करने के आधार

1. जन्म के आधार पर (Jus Soli)
2. वंश के आधार पर (Jus Sanguinis)
3. विवाह द्वारा
4. प्राकृतिककरण (Naturalization)
5. गोद लेने द्वारा

(घ) राष्ट्रियता का महत्व

नागरिक अधिकारों की प्राप्ति

विदेश में राज्य का संरक्षण

राजनीतिक अधिकार (मताधिकार आदि)

2. हस्तक्षेप (Intervention) – अर्थ एवं परिभाषा

(क) अर्थ (Meaning)

हस्तक्षेप से आशय उस स्थिति से है जब एक राज्य किसी अन्य राज्य के आंतरिक या बाहरी मामलों में बलपूर्वक या दबाव के माध्यम से दखल देता है।

सरल शब्दों में:

एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के मामलों में अनधिकृत दखल हस्तक्षेप कहलाता है।

(ख) परिभाषा (Definition)

ओपेनहाइम के अनुसार:

“जब एक राज्य किसी दूसरे राज्य के मामलों में अधिकारपूर्वक हस्तक्षेप करता है, तो उसे हस्तक्षेप कहा जाता है।”

(ग) हस्तक्षेप के प्रकार

1. प्रत्यक्ष हस्तक्षेप (Direct Intervention)
2. अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप (Indirect Intervention)
3. सैन्य हस्तक्षेप (Military Intervention)
4. मानवीय हस्तक्षेप (Humanitarian Intervention)

(घ) संयुक्त राष्ट्र और हस्तक्षेप

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, सामान्यतः किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप निषिद्ध है (अनुच्छेद 2(7)), परंतु शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद हस्तक्षेप की अनुमति दे सकती है।

राज्य दायित्व (State Responsibility) – अर्थ एवं परिभाषा

1. अर्थ (Meaning)

राज्य दायित्व से आशय उस कानूनी जिम्मेदारी से है जो किसी राज्य पर तब उत्पन्न होती है जब वह अंतरराष्ट्रीय कानून के किसी नियम का उल्लंघन करता है और उससे दूसरे राज्य को हानि पहुँचती है।

सरल शब्दों में:

जब कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है और उससे किसी अन्य राज्य को नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी राज्य दायित्व कहलाती है।

2. परिभाषा (Definition)

ओपेनहाइम (Oppenheim) के अनुसार:

“जब कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो वह उसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है।”

अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग (International Law Commission, 2001) के अनुसार:

“किसी राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय दायित्व के उल्लंघन से अंतरराष्ट्रीय रूप से अवैध कृत्य उत्पन्न होता है, जिसके लिए वह राज्य जिम्मेदार होता है।”

3. राज्य दायित्व के आवश्यक तत्व

1. अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य का अस्तित्व
2. उस कर्तव्य का उल्लंघन
3. हानि या नुकसान का होना

4. उल्लंघन और हानि के बीच संबंध (Causal Link)

4. राज्य दायित्व के प्रकार

1. प्रत्यक्ष दायित्व – जब राज्य स्वयं नियमों का उल्लंघन करे।

2. अप्रत्यक्ष दायित्व – जब राज्य के अधिकारी या एजेंट द्वारा उल्लंघन किया जाए।

5. परिणाम (Consequences)

1. क्षतिपूर्ति (Compensation)

2. पुनर्स्थापन (Restitution)

3. संतोष (Satisfaction) – जैसे माफी या आश्वासन

निष्कर्ष राज्य दायित्व अंतरराष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपने अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करें और उल्लंघन होने पर उचित प्रतिकार प्रदान करें।

अपहरण (Hijacking) – अर्थ एवं परिभाषा

1. अर्थ (Meaning) हाइजैकिंग (Hijacking) से आशय किसी विमान, जहाज या अन्य वाहन को बलपूर्वक, धमकी देकर या अवैध तरीके से अपने नियंत्रण में लेने की क्रिया से है।

अंतरराष्ट्रीय कानून में यह शब्द प्रायः विमान अपहरण (Aircraft Hijacking) के संदर्भ में प्रयोग होता है।

सरल शब्दों में:

किसी विमान या वाहन को जबरन अपने कब्जे में लेना हाइजैकिंग कहलाता है।

2. परिभाषा (Definition)

टोक्यो कन्वेंशन (1963), हेग कन्वेंशन (1970) और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन (1971) के अनुसार,

विमान को अवैध रूप से बल या धमकी के माध्यम से अपने नियंत्रण में लेना एक अंतरराष्ट्रीय अपराध है।

3. हाइजैकिंग के मुख्य तत्व

1. बल या धमकी का प्रयोग
2. विमान/वाहन पर अवैध नियंत्रण
3. यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को खतरा
4. अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर प्रभाव

4. हाइजैकिंग के कारण

आतंकवाद

राजनीतिक दबाव

फिरौती (Ransom)

व्यक्तिगत दुश्मनी

5. दंड और कानूनी प्रावधान

हाइजैकिंग एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराध है।

अधिकांश देशों में इसके लिए कठोर दंड (आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक) का प्रावधान है।

भारत में विमान अपहरण विरोधी अधिनियम, 2016 (Anti-Hijacking Act, 2016) लागू है।

निष्कर्ष हाइजैकिंग अंतरराष्ट्रीय शांति और मानव सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसे रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और कड़े राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं।

संधि का विधि (Law of Treaties) – अर्थ एवं परिभाषा

1. अर्थ (Meaning)

संधि का विधि से आशय उन नियमों और सिद्धांतों से है जो राज्यों के बीच होने वाली संधियों (Treaties) के निर्माण, व्याख्या, पालन और समाप्ति को नियंत्रित करते हैं।

सरल शब्दों में:

राज्यों के बीच होने वाले समझौतों (संधियों) से संबंधित नियमों को संधि का विधि कहते हैं।

2. परिभाषा (Definition)

वियना संधि सम्मेलन, 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties) के अनुसार:

“संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो राज्यों के बीच लिखित रूप में किया जाता है और जो अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा नियंत्रित होता है।”

3. संधि के आवश्यक तत्व

1. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच समझौता
2. लिखित रूप में होना
3. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत होना
4. पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति

4. संधियों के प्रकार

1. द्विपक्षीय संधि (Bilateral Treaty) – दो राज्यों के बीच
2. बहुपक्षीय संधि (Multilateral Treaty) – कई राज्यों के बीच
3. विधिक संधि (Law-making Treaty)
4. संविदात्मक संधि (Contractual Treaty)
5. संधि का निर्माण (Formation of Treaty)

1. वार्ता (Negotiation)

2. हस्ताक्षर (Signature)

3. अनुमोदन/पुष्टि (Ratification)

4. प्रवर्तन (Enforcement)

6. संधि की समाप्ति (Termination)

पारस्परिक सहमति

समय सीमा पूरी होना

संधि का उल्लंघन

असंभवता (Impossibility of Performance)

मूल परिस्थितियों में परिवर्तन (Rebus Sic Stantibus)

निष्कर्ष

संधि का विधि अंतरराष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण भाग है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य आपसी समझौतों का पालन करें और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सहयोग बनाए रखें।

UNIT-2

समुद्र का विधि (The Law of the Sea) – अर्थ एवं परिभाषा

1. अर्थ (Meaning)

समुद्र का विधि से आशय उन अंतरराष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों से है जो समुद्र, महासागर और उनके संसाधनों के उपयोग, नियंत्रण और अधिकारों को नियंत्रित करते हैं।

सरल शब्दों में: समुद्र से संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाले नियमों को समुद्र का विधि कहते हैं।

2. परिभाषा (Definition)

संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन, 1982 (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea) के अनुसार,

समुद्र का विधि वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है जो समुद्री सीमाओं, संसाधनों, नौवहन और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नियम निर्धारित करती है।

3. समुद्री क्षेत्रों का विभाजन (Maritime Zones)

UNCLOS के अनुसार समुद्र को निम्न भागों में बाँटा गया है:

1. आंतरिक जल (Internal Waters) – तट के भीतर का जल क्षेत्र, जिस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है।

2. क्षेत्रीय सागर (Territorial Sea) – तट से 12 समुद्री मील तक।

इस पर राज्य की संप्रभुता होती है।

अन्य राज्यों को “निर्दोष मार्ग” (Innocent Passage) का अधिकार है।

3. संलग्न क्षेत्र (Contiguous Zone) – 24 समुद्री मील तक।

यहाँ राज्य सीमित नियंत्रण रख सकता है।

4. विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ – Exclusive Economic Zone) – 200 समुद्री मील तक।

राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार होता है।

5. महाद्वीपीय शेल्फ (Continental Shelf) – समुद्र तल का वह भाग जो तट से आगे फैला होता है।

राज्य को खनिज संसाधनों पर अधिकार होता है।

6. उच्च समुद्र (High Seas)– सभी राज्यों के लिए खुला क्षेत्र।

किसी एक राज्य का नियंत्रण नहीं होता।

4. समुद्र विधि के प्रमुख उद्देश्य

समुद्री सीमाओं का निर्धारण

संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग

नौवहन की स्वतंत्रता

समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा

समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान

निष्कर्ष

समुद्र का विधि अंतरराष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण भाग है, जो समुद्र के उपयोग, संसाधनों के संरक्षण और राज्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को स्पष्ट करता है।

बाह्य अंतरिक्ष का विधि (Laws of Outer Space) – अर्थ एवं परिभाषा

1. अर्थ (Meaning) बाह्य अंतरिक्ष का विधि से आशय उन अंतरराष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों से है जो अंतरिक्ष, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के उपयोग, अन्वेषण और नियंत्रण को विनियमित करते हैं।

सरल शब्दों में:

अंतरिक्ष के उपयोग और उससे संबंधित अधिकारों एवं कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाले नियम बाह्य अंतरिक्ष का विधि कहलाते हैं।

2. परिभाषा (Definition)

बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 (Outer Space Treaty, 1967)** के अनुसार:

अंतरिक्ष का उपयोग समस्त मानवता के हित में और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, तथा कोई भी राज्य अंतरिक्ष या किसी खगोलीय पिंड पर अपना स्वामित्व दावा नहीं कर सकता।

3. बाह्य अंतरिक्ष विधि के प्रमुख सिद्धांत

1. अधिग्रहण निषेध सिद्धांत (Non-Appropriation Principle)

कोई भी राज्य अंतरिक्ष, चंद्रमा या अन्य ग्रहों पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता।

2. शांतिपूर्ण उपयोग (Peaceful Use)

अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

3. समान उपयोग का अधिकार (Freedom of Exploration)

सभी राज्यों को अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग का समान अधिकार है।

4. अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व (International Responsibility)

राज्य अपने अंतरिक्ष कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे वे सरकारी हों या निजी।

5. क्षति के लिए दायित्व (Liability for Damage)

यदि किसी देश के अंतरिक्ष यान से दूसरे देश को नुकसान होता है, तो वह देश जिम्मेदार होगा।

4. प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियाँ

1. बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967
2. अंतरिक्ष यात्री बचाव समझौता, 1968
3. दायित्व सम्मेलन, 1972
4. पंजीकरण सम्मेलन, 1975
5. चंद्रमा संधि, 1979

5. उद्देश्य

अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग

हथियारों की होड़ को रोकना

वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना

मानवता के हितों की रक्षा करना

निष्कर्ष

बाह्य अंतरिक्ष का विधि अंतरराष्ट्रीय कानून का आधुनिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष का उपयोग शांति, सहयोग और मानव कल्याण के लिए हो।

पर्यावरण संरक्षण (Protection of Environment) – अर्थ एवं परिभाषा

1. अर्थ (Meaning)

पर्यावरण संरक्षण से आशय प्राकृतिक संसाधनों (जल, वायु, भूमि, वन, जीव-जंतु आदि) की रक्षा, संवर्धन और संतुलित उपयोग से है, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ वातावरण बना रहे।

सरल शब्दों में:

प्रकृति और उसके संसाधनों को सुरक्षित रखना ही पर्यावरण संरक्षण है।

2. परिभाषा (Definition) पर्यावरण संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए कानूनी, सामाजिक और वैज्ञानिक उपाय किए जाते हैं।

3. पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य

1. प्रदूषण को नियंत्रित करना
 2. प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग
 3. जैव विविधता (Biodiversity) की रक्षा
 4. सतत विकास (Sustainable Development) को बढ़ावा देना
 5. जलवायु परिवर्तन को कम करना
- ### 4. पर्यावरण संरक्षण के उपाय
1. वृक्षारोपण और वनों की रक्षा

2. जल और ऊर्जा का संरक्षण
3. प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का पालन
4. पुनर्चक्रण (Recycling) और अपशिष्ट प्रबंधन
5. जन जागरूकता और शिक्षा
5. भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानून

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

निष्कर्ष पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन और पृथ्वी के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सतत विकास और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और तीसरी दुनिया (थर्ड वर्ल्ड) की स्थिति

तीसरी दुनिया (Third World) क्या है? “तीसरी दुनिया” शब्द का प्रयोग शीत युद्ध (Cold War) के समय उन देशों के लिए किया गया जो न तो पूंजीवादी गुट (अमेरिका के नेतृत्व में) और न ही साम्यवादी गुट (सोवियत संघ के नेतृत्व में) से जुड़े थे। इन देशों को आज आमतौर पर विकासशील देशया गुटनिरपेक्ष देश कहा जाता है।

तीसरी दुनिया से संबंधित प्रमुख सम्मेलन

1. बांडुंग सम्मेलन (1955)

स्थान: बांडुंग, इंडोनेशिया

इसमें 29 एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भाग लिया।

उद्देश्य: उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लभेद का विरोध और शांति को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन तीसरी दुनिया की एकता की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था।

2. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM), 1961

पहला शिखर सम्मेलन: बेलग्रेड, यूगोस्लाविया

प्रमुख नेता:

जवाहरलाल नेहरू (भारत)

जोसेफ ब्रोज़ टीटो

गमाल अब्देल नासिर

उद्देश्य: किसी भी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना।

3. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD), 1964

स्थापना: संयुक्त राष्ट्र द्वारा

उद्देश्य: विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना।

यह मंच तीसरी दुनिया के देशों की आर्थिक समस्याओं को उठाने के लिए महत्वपूर्ण रहा।

4. जी-77 (1964)

विकासशील देशों का समूह।

उद्देश्य: वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में समानता और न्याय की मांग।

“नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था” (NIEO) की मांग इसी समूह ने उठाई
तीसरी दुनिया की स्थिति

1. राजनीतिक स्थिति

अधिकांश देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे।

लोकतंत्र और स्थिर शासन की चुनौतियाँ।

कई देशों में सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता।

2. आर्थिक स्थिति

कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था।

गरीबी, बेरोजगारी और कम औद्योगिक विकास।

विदेशी सहायता और ऋण पर निर्भरता।

3. सामाजिक स्थिति

अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी।

* तेजी से बढ़ती जनसंख्या।

* सामाजिक असमानता।

निष्कर्ष

प्रमुख सम्मेलनों जैसे बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने तीसरी दुनिया के देशों को एक मंच दिया, जहाँ वे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सके।

हालाँकि चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं, लेकिन इन सम्मेलनों ने विकासशील देशों की वैश्विक पहचान को मजबूत किया

UNIT-3

विवादों का निपटारा (Settlement of Disputes) –

अर्थ

विवादों का निपटारा का अर्थ है—दो या अधिक पक्षों (देशों, संगठनों या व्यक्तियों) के बीच उत्पन्न मतभेदों को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीकों से सुलझाना।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादों के निपटारे के प्रमुख तरीके

1. वार्ता (Negotiation)

सबसे सरल और प्रत्यक्ष तरीका।

संबंधित पक्ष आपस में बातचीत कर समाधान निकालते हैं।

उदाहरण: भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता।

2. मध्यस्थता (Mediation)

किसी तीसरे पक्ष की सहायता से समझौता कराया जाता है।

तीसरा पक्ष समाधान सुझाता है, लेकिन उसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता।

3. पंचाट / मध्यनिर्णय (Arbitration)

दोनों पक्ष किसी निष्पक्ष व्यक्ति या संस्था को निर्णय देने का अधिकार देते हैं।

निर्णय मानना अनिवार्य होता है।

4. न्यायिक समाधान (Judicial Settlement)

विवाद को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाता है।

उदाहरण: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), जो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है।

इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है।

इसका निर्णय बाध्यकारी होता है।

5. जांच आयोग (Commission of Inquiry)

तथ्यों की जांच के लिए आयोग बनाया जाता है।

यह केवल तथ्य स्पष्ट करता है, निर्णय नहीं देता।

6. सुलह (Conciliation)

सुलह आयोग दोनों पक्षों को समझौते का प्रस्ताव देता है।

निर्णय मानना अनिवार्य नहीं होता।

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 6 में शांतिपूर्ण साधनों से विवादों के निपटारे पर जोर दिया गया है।

यदि शांति को खतरा हो तो सुरक्षा परिषद हस्तक्षेप कर सकती है।

महत्व

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहायक।

युद्ध की संभावना कम करता है।

कानून और न्याय की स्थापना करता है।

निष्कर्ष

विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों की आधारशिला है। वार्ता, मध्यस्थता, पंचाट और न्यायिक समाधान जैसे उपाय विश्व शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शांतिपूर्ण और बाध्यकारी साधन (Peaceful and Compulsive Means) –

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देशों के बीच विवादों को सुलझाने के दो प्रमुख तरीके होते हैं:

1. शांतिपूर्ण साधन (Peaceful Means)
2. बाध्यकारी साधन (Compulsive / Coercive Means)

1. शांतिपूर्ण साधन (Peaceful Means)

अर्थ

वे तरीके जिनमें बल प्रयोग (Force) का उपयोग नहीं किया जाता और बातचीत, समझौते या कानूनी प्रक्रिया से विवाद सुलझाया जाता है।

प्रमुख साधन

1. वार्ता (Negotiation)–

संबंधित देश आपस में सीधे बातचीत करते हैं।

2. मध्यस्थता (Mediation)

कोई तीसरा पक्ष समझौता कराने में मदद करता है।

3. सुलह (Conciliation)

आयोग समाधान का प्रस्ताव देता है।

4. पंचाट (Arbitration)

किसी निष्पक्ष प्राधिकारी द्वारा बाध्यकारी निर्णय।

5. न्यायिक समाधान (Judicial Settlement)

विवाद को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है।

महत्व

विश्व शांति बनाए रखने में सहायक

युद्ध की संभावना कम करता है

अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करता है

2. बाध्यकारी साधन (Compulsive / Coercive Means)

वे तरीके जिनमें किसी देश पर दबाव डालकर या बल प्रयोग करके उसे निर्णय मानने के लिए बाध्य किया जाता है।

प्रमुख साधन

1. प्रतिबंध (Sanctions) –

आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंध लगाना।

2. प्रतिशोध (Retorsion)

कूटनीतिक संबंध तोड़ना या दूतावास बंद करना।

3. निषेध / नाकाबंदी (Blockade)

किसी देश के व्यापार मार्ग बंद करना।

4. सैन्य कार्रवाई (Military Action)

अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग।

उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति भंग होने पर सामूहिक कार्रवाई की अनुमति दे सकती है।

विशेषता

ये उपाय कठोर होते हैं।

कभी-कभी युद्ध की स्थिति पैदा कर सकते हैं।

निष्कर्ष

शांतिपूर्ण साधन अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जबकि बाध्यकारी साधन दबाव और शक्ति पर आधारित होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है कि अधिकतम विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से किया जाए।

स्थल युद्ध का कानून (Law of Land Warfare)

अर्थ

स्थल युद्ध का कानून उन अंतरराष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों का समूह है, जो युद्ध के दौरान भूमि (जमीन) पर होने वाले सैन्य अभियानों को नियंत्रित करते हैं।

इनका उद्देश्य युद्ध को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उसे मानवीय और नियंत्रित बनाना है।

प्रमुख स्रोत

1. हेग सम्मेलन (1899, 1907)

युद्ध के नियम और तरीकों को निर्धारित किया।

युद्ध में हथियारों और रणनीतियों की सीमाएँ तय कीं।

युद्धबंदियों और नागरिकों के साथ व्यवहार के नियम बताए।

2. जेनेवा कन्वेंशन (1949)

घायल सैनिकों, युद्धबंदियों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

युद्ध के दौरान मानवीय व्यवहार अनिवार्य किया।

3. अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC)

युद्ध पीड़ितों की सहायता और जेनेवा कन्वेंशन के पालन की निगरानी करती है।

स्थल युद्ध के मुख्य सिद्धांत

1. मानवता का सिद्धांत (Principle of Humanity)

अनावश्यक पीड़ा और क्रूरता पर रोक।

2. भेदभाव का सिद्धांत (Principle of Distinction)

सैनिकों और नागरिकों में स्पष्ट अंतर करना आवश्यक।

नागरिकों पर जानबूझकर हमला वर्जित।

3. अनुपातिकता (Proportionality)

सैन्य कार्रवाई से होने वाला नुकसान आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. सैन्य आवश्यकता (Military Necessity)

केवल वही कार्रवाई वैध है जो सैन्य दृष्टि से आवश्यक हो।

प्रतिबंधित कार्य

रासायनिक या जैविक हथियारों का उपयोग।

आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों की हत्या।

नागरिक संपत्ति का अनावश्यक विनाश।

महत्व

युद्ध में भी मानव अधिकारों की रक्षा।

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा।

युद्ध अपराधों को रोकने में सहायक।

निष्कर्ष स्थल युद्ध का कानून युद्ध के दौरान भी मानवता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करता है।

हेग सम्मेलन और जेनेवा कन्वेंशन जैसे समझौते अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून की आधारशिला हैं।

समुद्री युद्ध का कानून (Law of Maritime Warfare) –

अर्थ समुद्री युद्ध का कानून (Law of Maritime / Naval Warfare) उन अंतरराष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो समुद्र में युद्ध के दौरान नौसेना की कार्यवाही, जहाजों, बंदरगाहों और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करते हैं। इनका उद्देश्य युद्ध के समय भी मानवीय सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन सुनिश्चित करना है।

प्रमुख स्रोत

1. हेग सम्मेलन (1899, 1907)

समुद्री युद्ध के नियमों को निर्धारित किया।

तटस्थ (Neutral) देशों के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट किया।

2. जेनेवा कन्वेंशन (1949)

समुद्र में घायल और जहाज़ डूबने के शिकार सैनिकों की सुरक्षा।

युद्धबंदियों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा।

3. संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS, 1982)

समुद्री क्षेत्रों, समुद्री सीमाओं और नौवहन के नियमों को निर्धारित करता है।

शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में समुद्री अधिकारों की व्याख्या।

समुद्री युद्ध के मुख्य सिद्धांत

1. तटस्थता का सिद्धांत (Principle of Neutrality)

तटस्थ देशों के जहाजों और बंदरगाहों का सम्मान करना।

तटस्थ राज्यों को युद्ध में शामिल नहीं करना।

2. भेदभाव का सिद्धांत (Distinction)

सैन्य जहाजों और नागरिक जहाजों में अंतर करना।

नागरिक जहाजों पर जानबूझकर हमला वर्जित।

3. अनुपातिकता (Proportionality)

सैन्य कार्रवाई से अनावश्यक नागरिक नुकसान नहीं होना चाहिए।

4. नाकाबंदी (Blockade)

दुश्मन के बंदरगाहों की नाकाबंदी वैध हो सकती है, लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार घोषित और लागू करना आवश्यक है।

प्रतिबंधित कार्य

बिना चेतावनी नागरिक जहाजों पर हमला।

समुद्री डकैती (Piracy)।

मानवीय सहायता ले जा रहे जहाजों पर हमला।

महत्व

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री मार्गों की सुरक्षा।

नागरिकों और तटस्थ देशों के अधिकारों की रक्षा।

युद्ध के दौरान भी मानवीय सिद्धांतों का पालन।

निष्कर्ष समुद्री युद्ध का कानून यह सुनिश्चित करता है कि समुद्र में होने वाले सैन्य अभियान अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हों। हेग सम्मेलन, जेनेवा कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि इस कानून की आधारशिला हैं।

नागरिकों की सुरक्षा (Protection of Civilians) –

अर्थ नागरिकों की सुरक्षा से तात्पर्य है कि युद्ध या सशस्त्र संघर्ष के दौरान आम जनता (जो युद्ध में भाग नहीं ले रही है) के जीवन, संपत्ति और मानवाधिकारों की रक्षा की जाए।

यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रमुख कानूनी आधार

1. जेनेवा कन्वेंशन (चौथा) (1949)

यह विशेष रूप से युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है।

कब्जे वाले क्षेत्रों (Occupied Territories) में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है।

2. 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल

नागरिकों और सैन्य लक्ष्यों में स्पष्ट अंतर करने पर जोर।

अंधाधुंध हमलों (Indiscriminate Attacks) पर प्रतिबंध।

3. संयुक्त राष्ट्र

शांति मिशनों (Peacekeeping Missions) के माध्यम से संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों की रक्षा करता है।

नागरिकों की सुरक्षा के मुख्य सिद्धांत

1. भेदभाव का सिद्धांत (Principle of Distinction)

सैनिकों और नागरिकों में स्पष्ट अंतर करना अनिवार्य है।

नागरिकों को सीधे निशाना बनाना प्रतिबंधित है।

2. अनुपातिकता (Proportionality)

सैन्य कार्रवाई से होने वाली नागरिक हानि अत्यधिक नहीं होनी चाहिए।

3. सावधानी (Precaution)

हमले से पहले सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतना।

नागरिकों को चेतावनी देना (जहाँ संभव हो)।

4. मानवता का सिद्धांत (Humanity)

नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार, यातना या उत्पीड़न वर्जित है।

प्रतिबंधित कार्य

नागरिकों पर जानबूझकर हमला।

सामूहिक दंड (Collective Punishment)।

भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता से वंचित करना।

बच्चों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार।

महत्व

मानवाधिकारों की रक्षा।

युद्ध के दौरान भी मानवीय मूल्यों को बनाए रखना।

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करना।

निष्कर्ष

नागरिकों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का मूल उद्देश्य है।

जेनेवा कन्वेंशन (चौथा) और संयुक्त राष्ट्र के प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि युद्ध के दौरान भी मानवता और न्याय के सिद्धांतों का पालन हो।

युद्धबंदी (Prisoners of War – POW)

अर्थ युद्धबंदी (Prisoners of War) वे सैनिक या सशस्त्र बलों के सदस्य होते हैं जिन्हें युद्ध या सशस्त्र संघर्ष के दौरान दुश्मन देश द्वारा पकड़ लिया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना अनिवार्य है।

प्रमुख कानूनी आधार

1. जेनेवा कन्वेंशन (तीसरा) (1949)

विशेष रूप से युद्धबंदियों के अधिकारों और उनके साथ व्यवहार के नियम निर्धारित करता है।

युद्धबंदियों को सुरक्षा, भोजन, चिकित्सा सुविधा और सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार देता है।

2. अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC)

युद्धबंदी शिविरों का निरीक्षण करती है।

युद्धबंदियों और उनके परिवारों के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायता करती है।

युद्धबंदियों के अधिकार

1. मानवीय व्यवहार का अधिकार –

किसी भी प्रकार की यातना, क्रूरता या अपमानजनक व्यवहार वर्जित है।

2. भोजन और चिकित्सा सुविधा –

पर्याप्त भोजन, पानी और चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।

3. आवास और सुरक्षा –

सुरक्षित और स्वच्छ रहने की व्यवस्था।

4. धार्मिक स्वतंत्रता –

अपने धर्म का पालन करने की अनुमति।

5. संपर्क का अधिकार –

परिवार को सूचना देने और पत्राचार की सुविधा।

प्रतिबंधित कार्य शारीरिक या मानसिक यातना।

जबरन श्रम जो सैन्य उद्देश्यों के लिए हो।

सार्वजनिक रूप से अपमानित करना।

न्यायिक प्रक्रिया के बिना दंड देना।

रिहाई (Release)

युद्ध समाप्त होने पर युद्धबंदियों को शीघ्र रिहा किया जाना चाहिए।

गंभीर अपराधों के मामलों में कानूनी प्रक्रिया के बाद ही रोक संभव है।

महत्व

युद्ध के दौरान भी मानवाधिकारों की रक्षा।

अंतरराष्ट्रीय शांति और न्याय को मजबूत करना।

संघर्ष में मानवता के सिद्धांतों को बनाए रखना।

निष्कर्ष

युद्धबंदियों के अधिकारों की रक्षा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जेनेवा कन्वेंशन (तीसरा) और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यह सुनिश्चित करते हैं कि युद्ध की स्थिति में भी मानवता और गरिमा का सम्मान बना रहे।

घायल और बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा (Sick and Wounded)

अर्थ घायल (Wounded) और बीमार (Sick) वे सैनिक या व्यक्ति होते हैं जो युद्ध या सशस्त्र संघर्ष के दौरान चोटिल, बीमार या असहाय हो जाते हैं और युद्ध में भाग लेने की स्थिति में नहीं रहते।

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार उनकी रक्षा और उपचार करना अनिवार्य है।

प्रमुख कानूनी आधार

1. जेनेवा कन्वेंशन (प्रथम) (1949)

स्थल युद्ध में घायल और बीमार सैनिकों की सुरक्षा से संबंधित।

सभी पक्षों को बिना भेदभाव के उपचार प्रदान करना अनिवार्य करता है।

2. जेनेवा कन्वेंशन (द्वितीय) (1949)

समुद्र में घायल, बीमार और जहाज़ डूबने के शिकार व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

3. अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC)

संघर्ष क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता और मानवीय राहत प्रदान करती है।

कन्वेंशनों के पालन की निगरानी करती है।

मुख्य सिद्धांत

1. मानवता (Humanity)

घायल और बीमार व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए।

उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।

2. भेदभाव-निषेध (Non-Discrimination)

राष्ट्रीयता, धर्म, जाति या पक्ष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।

3. चिकित्सा संरक्षण (Medical Protection)

अस्पताल, एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मियों पर हमला वर्जित।

रेड क्रॉस/रेड क्रीसेंट के प्रतीक का सम्मान।

प्रतिबंधित कार्य

घायल सैनिकों की हत्या।

चिकित्सा सहायता से वंचित करना।

चिकित्सा संस्थानों पर हमला।

महत्व

युद्ध में भी मानवता और करुणा बनाए रखना।

अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों की रक्षा।

संघर्ष को अधिक मानवीय बनाना।

निष्कर्ष

घायल और बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का मूल सिद्धांत है।

जेनेवा कन्वेंशन (प्रथम) और जेनेवा कन्वेंशन (द्वितीय) यह सुनिश्चित करते हैं कि युद्ध के दौरान भी घायल और बीमार लोगों को संरक्षण और उपचार मिले।

UNIT-4

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग (International Economic Cooperation) –अर्थ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से तात्पर्य है–विभिन्न देशों द्वारा आपसी समझ, समझौते और संस्थाओं के माध्यम से व्यापार, निवेश, विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करना है।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख उद्देश्य

1. विश्व व्यापार को बढ़ावा देना।
2. विकासशील देशों की आर्थिक सहायता करना।
3. वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना।
4. गरीबी और असमानता कम करना।
5. तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाना।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ

1. संयुक्त राष्ट्र (UN)

वैश्विक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मंच प्रदान करता है।

विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देता है।

2. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है।

भुगतान संतुलन की समस्या वाले देशों को ऋण प्रदान करता है।

3. विश्व बैंक (World Bank)

विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है।

गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान।

4. विश्व व्यापार संगठन (WTO)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम निर्धारित करता है।

व्यापार विवादों का समाधान करता है।

5. जी-77

विकासशील देशों का समूह।

नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) की मांग।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

व्यापार और टैरिफ में कमी

विदेशी निवेश

तकनीकी सहायता

जलवायु परिवर्तन और सतत विकास

ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा

महत्व

वैश्विक आर्थिक विकास को गति मिलती है।

विकासशील देशों को सहायता मिलती है।

आर्थिक संकटों से निपटने में मदद मिलती है।

अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती और संतुलित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाएँ इस सहयोग को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (New International Economic Order – NIEO) –

अर्थ

नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) एक वैश्विक आर्थिक सिद्धांत और प्रस्ताव था, जिसे 1970 के दशक में विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ आर्थिक असमानताओं को कम करने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पेश किया।

इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में न्याय और संतुलन लाना था।

प्रमुख उद्देश्य

1. विकासशील देशों के लिए अच्छे व्यापार और कीमतों की गारंटी।
2. प्राकृतिक संसाधनों (जैसे तेल, खनिज) पर नियंत्रण का स्वतंत्र अधिकार।
3. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और व्यापार संस्थाओं (जैसे IMF, World Bank) में समान भागीदारी।
4. तकनीकी सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा।
5. गरीबी, बेरोजगारी और असमानता कम करना।

प्रमुख पहल और संगठन

1. जी-77

विकासशील देशों का समूह।

NIEO की मांगों का मुख्य प्रतिनिधि।

2. संयुक्त राष्ट्र

1974 में UN जनरल असेंबली ने NIEO को स्वीकार किया।

आर्थिक न्याय और विकास की दिशा में अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया।

NIEO की प्रमुख मांगें

1. कच्चे माल और प्राथमिक उत्पादों के निर्यात की कीमतों में स्थिरता।
2. विकासशील देशों के संसाधनों पर अधिक नियंत्रण।
3. औद्योगिक देशों द्वारा तकनीकी और आर्थिक सहायता।
4. अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में निष्पक्ष भागीदारी।
5. विदेशी ऋण और निवेश पर संतुलित नियम।

महत्व

वैश्विक आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास।

विकासशील देशों की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बढ़ाना।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) विकासशील देशों की आर्थिक स्वतंत्रता, न्याय और समान अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी।

जी-77 और संयुक्त राष्ट्र ने इसे वैश्विक मंच पर स्थापित किया, ताकि विकासशील देशों के हितों की रक्षा हो सके।

तटस्थता (Neutrality) –

अर्थ

तटस्थता (Neutrality) का अर्थ है—किसी देश का युद्ध या सशस्त्र संघर्ष में किसी भी पक्ष का समर्थन न करना और निष्पक्ष बने रहना।

तटस्थ देश अपने क्षेत्र और संसाधनों का उपयोग युद्ध में किसी पक्ष के पक्ष में नहीं कर सकता।

तटस्थता के प्रमुख सिद्धांत

1. राजनीतिक निष्पक्षता (Political Impartiality)

युद्ध के दोनों पक्षों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना।

किसी सैन्य या राजनीतिक गठबंधन में शामिल न होना।

2. क्षेत्रीय सुरक्षा (Territorial Integrity)

तटस्थ देश के भू-भाग, जल और हवाई क्षेत्र को युद्ध में इस्तेमाल नहीं होने देना।

3. सैन्य प्रतिबंध (Military Restrictions)

तटस्थ देश की सेना किसी युद्ध में प्रत्यक्ष सहायता नहीं दे सकती।

किसी पक्ष को हथियार, सैनिक या सैन्य सामग्री नहीं देना।

4. मानवीय सहायता (Humanitarian Assistance)

युद्ध से प्रभावित पक्षों को चिकित्सा, भोजन और राहत प्रदान कर सकता है।

यह तटस्थता के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी आधार

1. हेग सम्मेलन (हेग सम्मेलन) – युद्ध के दौरान तटस्थ देशों के अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

2. संयुक्त राष्ट्र चार्टर (संयुक्त राष्ट्र) – किसी देश की संप्रभुता और निष्पक्षता को सम्मान देने की आवश्यकता पर जोर।

तटस्थता का उल्लंघन

किसी युद्ध में प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी।

हथियार, सैनिक या संसाधनों की आपूर्ति करना।

तटस्थ देश की भूमि या जल मार्गों को दुश्मन को देने की अनुमति।

महत्व

अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना।

युद्ध के दौरान देश की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करना।

विश्व समुदाय में विश्वास और सम्मान बनाए रखना।

निष्कर्ष

तटस्थता युद्ध और संघर्ष में एक देश की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।

हेग सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के नियम तटस्थ देशों के अधिकार और कर्तव्यों को स्पष्ट करते हैं।

21वीं सदी में तटस्थता का कानूनी दर्जा (Legal Status of Neutrality in the 21st Century) –

अर्थ

तटस्थता (Neutrality) अब भी अंतरराष्ट्रीय कानून का एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, लेकिन वैश्विक राजनीति, सामरिक गठबंधनों और आधुनिक युद्ध तकनीकों के कारण इसका स्वरूप और व्यावहारिक प्रभाव बदल गया है।

21वीं सदी में तटस्थता की कानूनी विशेषताएँ

1. अंतरराष्ट्रीय मान्यता

संयुक्त राष्ट्र चार्टर (संयुक्त राष्ट्र) तटस्थ देशों की संप्रभुता और निष्पक्षता को मान्यता देता है। तटस्थ देशों को युद्ध में प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी न करने और अपने क्षेत्र का दुश्मन के लिए प्रयोग न होने देने का अधिकार है।

2. वैश्विक गठबंधन और संगठन

नाटो (नाटो) जैसे सामरिक गठबंधनों में भाग लेने वाले देशों की तटस्थता पर प्रभाव पड़ता है।

21वीं सदी में आर्थिक और सैन्य दबाव के कारण पूर्ण तटस्थता बनाए रखना कठिन हुआ है।

3. तकनीकी और साइबर युद्ध

आधुनिक युद्ध में साइबर हमला, ड्रोन, हाइब्रिड युद्ध शामिल हैं।

तटस्थ देशों को इन नई तकनीकों के चलते अपने आभासी क्षेत्र और डेटा सुरक्षा की भी रक्षा करनी पड़ती है।

4. मानवाधिकार और मानवीय जिम्मेदारी

युद्ध में तटस्थता के बावजूद, मानवीय राहत, शरणार्थियों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में भाग लेना कानूनी रूप से सुरक्षित और स्वीकार्य है।

कानूनी सीमाएँ और चुनौतियाँ

1. सैन्य गठबंधन के दबाव – तटस्थ देशों पर कभी-कभी गठबंधनों के पक्ष में दबाव डाला जाता है।
2. आर्थिक और राजनीतिक दबाव – अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और वित्तीय नीतियाँ तटस्थता को चुनौती देती हैं।
3. साइबर और गैर-संपर्क युद्ध – 21वीं सदी में परंपरागत नियमों के अतिरिक्त नई सुरक्षा चुनौतियाँ।

महत्व

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तटस्थता का अभी भी महत्वपूर्ण योगदान है।

तटस्थ देशों की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित होती है।

यह वैश्विक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करता है।

निष्कर्ष

21वीं सदी में तटस्थता कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन आधुनिक युद्ध तकनीक, सामरिक गठबंधन और वैश्विक राजनीति के कारण इसका अभ्यास कठिन हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय कानून तटस्थ देशों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन उन्हें आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए सतर्क रहना पड़ता है।

तटस्थता के अधिकार और कर्तव्य (Rights and Duties of Neutrality) –

अर्थ

तटस्थता में किसी देश का युद्ध या संघर्ष में किसी भी पक्ष का समर्थन न करना और निष्पक्ष बने रहना शामिल है।

इसके साथ ही अधिकार (Rights) और कर्तव्य (Duties) दोनों निर्धारित होते हैं।

1. तटस्थ देश के अधिकार (Rights of Neutral State)

1. सैन्य निष्पक्षता का अधिकार युद्ध में प्रत्यक्ष भाग न लेने का अधिकार।

2. संपत्ति और क्षेत्र की सुरक्षा

तटस्थ देश के भूमि, जल और हवाई क्षेत्र का उपयोग किसी युद्ध में नहीं किया जा सकता।

3. आर्थिक अधिकार

तटस्थ देश अपने बंदरगाह, व्यापार और संसाधनों का प्रयोग केवल अपने हित में कर सकता है।

4. कूटनीतिक संरक्षण

संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय कानून तटस्थ देश की संप्रभुता का सम्मान करते हैं।

5. मानवीय सहायता का अधिकार

युद्ध प्रभावित पक्षों को चिकित्सा, राहत और शरणार्थियों की सहायता प्रदान करना सुरक्षित है।

2. तटस्थ देश के कर्तव्य (Duties of Neutral State)

1. सैन्य निष्पक्षता बनाए रखना

किसी भी पक्ष को सैनिक, हथियार या सैन्य संसाधन नहीं देना।

2. क्षेत्र की रक्षा

अपने भूमि, जल और हवाई क्षेत्र को किसी युद्ध में प्रयोग नहीं होने देना।

3. आर्थिक निष्पक्षता

युद्ध में शामिल देशों को अपने व्यापार या संसाधनों का पक्ष नहीं देना।

4. घायल और युद्धबंदियों का संरक्षण युद्धबंदियों, घायल सैनिकों और नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार करना।

5. निष्पक्ष कूटनीति

युद्ध प्रभावित देशों के बीच मध्यस्थता या शांति प्रयास में निष्पक्ष रहना।

महत्व

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।

देश की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

वैश्विक न्याय और निष्पक्षता बनाए रखना।

निष्कर्ष

तटस्थता में अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े होते हैं।

अधिकार देश को सुरक्षा और स्वतंत्रता देते हैं, जबकि कर्तव्य सुनिश्चित करते हैं कि तटस्थ देश युद्ध में निष्पक्ष और मानवतावादी बने रहे।

हेग सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र इसके कानूनी आधार हैं।

नाकाबंदी (Blockade)

अर्थ

नाकाबंदी का अर्थ है—युद्ध के दौरान किसी देश के बंदरगाह, जलमार्ग या सीमाओं को दुश्मन की सेना के लिए बंद करना, ताकि वह आवश्यक संसाधन, हथियार या सैनिक प्राप्त न कर सके।

यह एक सैन्य रणनीति है, जिसका उद्देश्य युद्ध में प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करना होता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून में नाकाबंदी

1. कानूनी मान्यता

नाकाबंदी को अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसे लागू करने के कुछ नियम हैं।

नाकाबंदी घोषित और प्रभावी होनी चाहिए।

तटस्थ देशों के बंदरगाहों और जलमार्गों को प्रभावित नहीं करना चाहिए।

2. प्रमुख नियम (हेग सम्मेलन 1907 के अनुसार)

1. घोषणा का नियम – नाकाबंदी को स्पष्ट रूप से घोषित किया जाना चाहिए।
2. निष्पक्षता का नियम – तटस्थ देशों की नौकाओं और व्यापार पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं।
3. प्रभावशीलता का नियम – नाकाबंदी वास्तविक और लागू होनी चाहिए, केवल दिखावटी न हो।

प्रकार

1. संपूर्ण नाकाबंदी (Total Blockade)

सभी वस्तुओं और जहाजों पर रोक।

2. आंशिक नाकाबंदी (Partial Blockade)

कुछ विशेष वस्तुओं या क्षेत्रों को बंद किया जाता है।

प्रतिबंधित कार्य

तटस्थ देशों के जहाजों पर हमला।

नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुएँ रोकना।

मानवीय सहायता से वंचित करना।

महत्व

युद्ध में दुश्मन की आपूर्ति को रोककर उसे कमजोर बनाना।

सैन्य और आर्थिक दबाव का साधन।

अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का पालन आवश्यक।

निष्कर्ष

नाकाबंदी युद्ध का एक प्रभावशाली साधन है, लेकिन इसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार होना आवश्यक है।

हेग सम्मेलन नाकाबंदी के नियमों का आधार हैं।

“contraband”

तस्करी का माल (taskari ka maal)

Or

अवैध वस्तु (avaidh vastu)

तस्करी का माल → goods that are smuggled.

अवैध वस्तु → illegal items in general.

For example:

* The police seized contraband from the truck.

→ पुलिस ने ट्रक से तस्करी का माल जब्त किया।

Smoking contraband is punishable by law.

→ अवैध वस्तुओं का सेवन कानून के तहत दंडनीय है।

Prize Courts का विवरण इस प्रकार है:

परिभाषा (Definition in Hindi):

इनाम न्यायालय (Prize Court) वह विशेष न्यायालय होता है जो युद्ध के समय किसी देश द्वारा कब्ज़ा किए गए शत्रु के जहाज़, माल या संपत्ति की वैधता (legality) का निर्णय करता है।

विस्तार (Explanation):

जब युद्ध के दौरान किसी शत्रु का जहाज़ या उसका माल कब्ज़ा किया जाता है, तो यह न्यायालय यह तय करता है कि उस संपत्ति पर कब्ज़ा वैध है या नहीं।

यह मुख्य रूप से समुद्री युद्ध (Naval Warfare) में लागू होता है।

इस न्यायालय के निर्णय के बाद ही कब्ज़ा की गई संपत्ति का अधिकार राज्य या विजेता पक्ष को मिलता है।

उदाहरण वाक्य (Example Sentence):

युद्ध के दौरान पकड़े गए शत्रु के जहाज़ को इनाम न्यायालय में पेश किया गया।

इनाम न्यायालय ने शत्रु के जहाज़ और माल को कब्ज़ा करने की वैधता को मान्यता दी।